कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–45/2019– 961 दिनांक : 02.10.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित "पलामू व्याघ्र योजना" के अंतर्गत अनावर्त्ती कार्य (60:40) के लिए **रू0 201.956 लाख (दो करोड़ एक लाख पनचानवे हजार छः सौ रूपये)** तथा आवर्त्ती कार्य (50:50) के लिए **रू0 319.992 लाख (तीन करोड़ उन्नीस लाख निनानवे हजार दो सौ रूपये)** कुल **रू0 521.948 लाख (पाँच करोड़ इक्कीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–52/2019–43/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट– 52/2019–92/आ0, S1,S2, C1,C2 व0प0 दिनांक 01.10.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष–08 पलामू व्याघ्र योजना अनावर्त्ती कार्य (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 201.956 लाख (दो करोड़ एक लाख पनचानवे हजार छः सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110080103	79.5096
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110080323	41.6640
कुल :–		**121.1736**

(क) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110080103	53.0064
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110080323	27.7760
कुल :–		**80.7824**

बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष–21 प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना आवर्त्ती कार्य (50:50) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 319.992 लाख (तीन करोड़ उन्नीस लाख निनानवे हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

(क) केन्द्रांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110210103	111.9985
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110210323	47.9975
कुल :–		**159.996**

(क) राज्यांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110210103	111.9985
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110210323	47.9975
कुल :–		**159.996**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 एवं 2** पर वर्णित पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. स्ट्राईक फोर्स एवं टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना पर किये जाने वाले व्यय श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप अथवा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर प्राप्ति के पश्चात् किया जायेगा।

4. कार्य योजना में अंकित Public Procurment के सारे कार्य मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2218 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

5. कार्य योजना में अंकित अवयवों का दर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दर तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधनों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

7. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जायेगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंग बैंक खाता में ट्रान्सफर अथवा A/c payee चेक के माध्यम से किया जायेगा।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भरत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय उप–आवंटन तक सीमित रखा जाएगा।

15. इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

16. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक/ क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत् अनुरश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के नियमों का सतत् पालन किया जा रहा है।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण कर सुनिश्चित किया जायेगा कि कराये गये कार्य Tiger Conservation Plan and Annual Plan of Operation के अनुरूप सम्पादित किये गये हैं।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार

कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 4-1 (16)/2018-PT दिनांक 20.06.2018 में निहित सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य योजना का 80 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है, तद्नुसार सभी स्वीकृत कार्यों के लिए कर्णांकित राशि का 80 प्रतिशत राशि उप आवंटित की जा रही है।

21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक–1746 दिनांक–03.09.2019 द्वारा सूचित किया है कि प्रस्तावित कार्यों से संबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन प्राप्त है।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–45/2019–961** दिनांक– **02.10.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–45/2019–961** दिनांक– **02.10.2019**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना ''पलामू ब्याघ्र योजना'' (60:40) के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(As per APO Sanctioned - 2019-20)

अनावर्त्तक व्यय (60:40) (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या/ यूनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम: उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			संख्या/ यूनिट	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			कुल
					कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अवैध शिकार का रोकथाम											
(क)	स्ट्राईक फोर्स की स्थापना पर व्यय।	Core Zone	बल	13	33.450	33.450	0.000		0.000	0.000	0.000	33.450
(ख)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना पर व्यय।	Core Zone	Section	45	35.080	35.080	0.000	45	35.080	35.080	0.000	70.160
(ग)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रतिनियुक्त ट्रैकरों का 1 माह का बकाया मजदूरी	Core Zone	Wages	0.00	0.000	0.000	0.000	60	3.700	3.700	0.000	3.700
(घ)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स एवं स्ट्राईक फोर्स के लिए फिल्ड गियर एवं फिल्ड किट पर व्यय।	Core Zone	Field Gear	–	0.000	0.000	0.000	138 उत्तरी एवं दक्षिणी प्रमंडल के लिए	6.900	0.000	6.900	6.900
(ड)	वायरलेस नेटवर्क की स्थापना पर व्यय। (बेतार हैण्ड सेट का क्रय)	Buffer Zone	बेतार यंत्र	–	0.000	0.000	0.000	3 Tower 15 Hand Sets उत्तरी एवं दक्षिणी प्रमंडल के लिए	15.000	0.000	15.000	15.000
		कुलः-			68.530	68.530	0.000		60.680	38.780	21.900	129.210
2	मुल-भूत संरचनाओं का विकास।											
(क)	Procurement of Hardware (Lager Range Finder, GPS, Binocular & Field Camera) पर व्यय।	Core Zone	Hardware		17.500	0.000	17.500		17.500	0.000	17.500	35.000
(ख)	कर्मचारियों के लिए शैचालय का निर्माण।	Core Zone		2	1.600	0.640	0.960	1	0.800	0.320	0.480	2.400
		कुलः-			19.100	0.640	18.460		18.300	0.320	17.980	37.400

3	शोध एवं क्षेत्रीय उपकरण											
(क)	वन्यप्राणियों पर शोध एवं ऑकड़ों के अनुश्रवण पर व्यय	Core Zone		–	2.500	1.500	1.000	–	2.500	1.500	1.000	5.000
		कुलः-			**2.500**	**1.500**	**1.000**	0	**2.500**	**1.500**	**1.000**	**5.000**
4	**कर्मचारियों के क्षमता विकास कार्यक्रम**											
(क)	Workshops for park staff and officials regarding park management, Habitat, management, Wildlife Management, Wildlife Crime Control	Core Zone	Workshops	5	1.500	0.500	1.000	5	1.500	0.500	1.000	3.000
	कुलः-				**1.500**	**0.500**	**1.000**		**1.500**	**0.500**	**1.000**	**3.000**
5	इको विकास											
(क)	पलामू ब्याघ्र आरक्ष की परिधी एवं उसके अन्दर पालतू पशुओं के टीकाकरण पर व्यय।	Buffer Zone	टीकाकरण	10 कैम्प	1.200	0.360	0.840	15 कैम्प	1.800	0.540	1.260	3.000
(ख)	बेसिक हेल्थ केयर/हेल्थ कैम्प का आयोजन।	Buffer Zone	Health Care	10 कैम्प	2.000	0.400	1.600	15 कैम्प	3.000	0.600	2.400	5.000
		कुलः-			**3.200**	**0.760**	**2.440**		**4.800**	**1.140**	**3.660**	**8.000**
7	पर्यावास का विकास											
(क)	भू- संरक्षण कार्य (कन्टुर ट्रेच), 50/हे0 (0.45x0.45xm^3) & Gully Plugging Total 46 MD/ha. +500 MS/ha.	Buffer Zone						200 हे0	19.346	18.346	1.000	19.346
		कुलः-			**0.000**	**0.000**	**0.000**	0	**19.346**	**18.346**	**1.000**	**19.346**
		महाकुलः-			**94.830**	**71.930**	**22.900**		**107.126**	**60.586**	**46.540**	**201.956**

सारांश (राशि लाख रू0 में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	प्राथमिक इकाई		
	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	71.930	22.900	94.830
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	60.586	46.540	107.126
सकल योगः-	**132.516**	**69.440**	**201.956**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना ''पलामू ब्याघ्र योजना'' (50:50) के अन्तर्गत आवर्त्तक व्यय हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(As per APO Sanctioned - 2019-20)

आवर्त्तक व्यय (50:50) (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम								कुल	अभ्युक्ति
				संख्या/ यूनिट	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			संख्या/ यूनिट	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर				
					कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अवैध शिकार की रोकथाम												
(क)	आकस्मिक मजदूर	Buffer Zone	Trekker/ Dailywager	95	54.493	54.493	0.000	95	54.493	54.493	0.000	108.986	50:50 में भारत सरकार द्वारा कुल 423.00 लाख रू0 की स्वीकृति दी गयी है, जबकि बजट प्रावधान 400.00 लाख का है। अत: यहां 23.00 लाख रू0 कम मांगा जा रहा है। इसकी पूर्ति हेतु GoI को लिखा जा रहा है कि वे 23.00 लाख रू0 60:40 में व्यय हेतु अनुमति दें, जहां बजट में यह राशि surplus रूपये में उपलब्ध है। ताकि 15+15=30 ट्रेकरों का मजदूरी भुगतान किया जा सके।
(ख)	बेतार यंत्रों का रख-रखाव, क्लोज युजर ग्रुप, मोबाईल रिचार्ज सहित, एवं 16 व्यक्ति 8 बेतार केन्द्रों के लिये	Core Zone	बेतार यंत्र	बेतार यंत्र रख रखाव मोबाईल रिचार्ज,	4.893	0.000	4.893	बेतार यंत्र रख रखाव मोबाईल रिचार्ज,	5.907	2.195	3.712	10.800	
(ग)	वाहनों का रख-रखाव (जिप्सी, जीप, ट्रक, मोटरसाईकिल,)	Core Zone	वाहन	L.S	2.000	0.000	2.000	L.S	2.000	0.000	2.000	4.000	
(घ)	गुप्त सूचना पर व्यय।	Core Zone	गुप्त सूचना		1.000	1.000	0.000		0.500	0.500	0.000	1.500	
(च)	स्थानीय व्यक्तियों एवं पुलिस की सहाताया से रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन, बस बड़ाव एवं अन्य स्थानों पर औचक छापामारी पर व्यय।	Core Zone	छापामारी		1.250	0.000	1.250		0.750	0.000	0.750	2.000	
(छ)	कोर्ट केस हेतु कानूनी प्रक्रिया पर व्यय।	Buffer Zone	कोर्ट केस		1.000	0.000	1.000		1.500	0.000	1.500	2.500	

(ज)	गश्ती चौकी पर प्रतिनियोजित व्यक्तियों/ट्रेकर की मजदूरी	Core Zone	Trekker/ Dailywager	55	34.298	34.298	0.000	55	34.298	34.298	0.000	68.596	
(झ)	फिल्ड गियर/कैमरा ट्रैप/अन्य उपकरण के रख-रखाव पर व्यय (100 कैमरा ट्रेप का क्रय)	Buffer Zone	उपकरण	50	8.000	0.000	8.000	25	4.000	0.000	4.000	12.000	
(ट)	अवैध शिकर के रोकथाम हेतु फिल्ड गियर का क्रय	Core Zone	उपकरण	77	3.850	0.000	3.850	–	0.000	0.000	0.000	3.850	
(ठ)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रतिनियुक्ति ट्रेकरों का 3 माह का बकाया मजूदरी	Buffer Zone	Trekker/ Dailywager	0	0.000	0.000	0.000	193	35.740	35.740	0.000	35.740	
(ड)	दशहरा, क्रिसमस, होली एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर अवैध शिकार के रोकथाम हेतु विशेष गश्ती कार्य में प्रतिनियुक्ति मजूदरों की मजदूरी।	Buffer Zone		45	3.490	3.490	0.000	45	3.490	3.490	0.000	6.980	
	कुल:-				**114.274**	**93.281**	**20.993**		**142.678**	**130.716**	**11.962**	**256.952**	
2	मूल-भूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण												
(क)	वाहन का रख-रखाव।	Buffer Zone	वाहन	–	4.000	0.000	4.000	–	9.000	0.000	9.000	13.000	
	कुल:-				**4.000**	**0.000**	**4.000**		**9.000**	**0.000**	**9.000**	**13.000**	
3	पर्यावास का विकास												
(क)	Weed eradication (1st Year) @ 35M.D Per Ha.	Core Zone		100 हे०	8.740	0.000	8.740	100 हे०	8.740	0.000	8.740	17.480	
(ख)	नये घास मैदान का निर्माण (अग्रिम+समापन कार्य)	Core Zone	वाहन	40 हे०	16.280	0.000	16.280	40 हे०	16.280	0.000	16.280	32.560	
	कुल:-				**25.020**	**0.000**	**25.020**		**25.020**	**0.000**	**25.020**	**50.040**	
	महाकुल:-				**143.294**	**93.281**	**50.013**		**176.698**	**130.716**	**45.982**	**319.992**	

सारांश (राशि लाख रू0 में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	प्राथमिक इकाई		
	मजदूरी	**आपूर्ति एवं सामग्री**	**कुल**
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	93.281	50.013	143.294
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	130.716	45.982	176.698
सकल योग:-	**223.997**	**95.995**	**319.992**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची।

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\CSS\PTR\Project Tiger (50-50)

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/961 दिनांक - 02-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 2406021100080103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65041	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	4,315,800.00 रुपये तीरयालीस लाख पंद्रह हजार आठ सौ
2	C 19 2406021100080103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65042	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	3,635,160.00 रुपये छत्तीस लाख पैतीस हजार एक सौ साहठ
3	S 19 2406021100080103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65045	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	2,877,200.00 रुपये अठाइस लाख सित्योत्तर हजार दो सौ

योग: 10,828,160.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड आठ लाख अठाइस हजार एक सौ साहठ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.249 Run Date: 2/10/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060211008O103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65046	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	2,423,440.00 रुपये चौइस लाख तेइस हजार चार सौ चालीस
5	C 19 24060211008O323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65043	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	1,374,000.00 रुपये तेरह लाख चौहत्तर हजार
6	C 19 24060211008O323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65044	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	2,792,400.00 रुपये सत्ताइस लाख बयानवे हजार चार सौ

योग: 6,589,840.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चौहत्तर लाख अठारह हजार 17,418,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/961 | दिनांक - 02-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 2406021100080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65047	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	916,000.00 रुपये नौ लाख सोलह हजार
8	S 19 2406021100080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65048	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	1,861,600.00 रुपये अठारह लाख इकसठ हजार छः सौ
9	C 19 2406021100210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65049	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	4,664,050.00 रुपये छयालीस लाख चौसठ हजार पचास

योग: 7,441,650.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अडतालीस लाख उनसठ हजार छः सौ पचास 24,859,650.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.249 Run Date: 2/10/2019

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/961 दिनांक - 02-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	C 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65050	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	6,535,800.00 रुपये पैसठ लाख पैतीस हजार आठ सौ
11	S 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65053	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	4,664,050.00 रुपये छ्यालीस लाख चौसठ हजार पचास
12	S 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65054	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	6,535,800.00 रुपये पैसठ लाख पैतीस हजार आठ सौ

योग: 17,735,650.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड पच्चीस लाख पिनचानवे हजार तीन सौ 42,595,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.249 Run Date: 2/10/2019

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/961 दिनांक - 02-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	C 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65051	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	2,500,650.00 रुपये पच्चीस लाख छः सौ पचास
14	C 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65052	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	2,299,100.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार एक सौ
15	S 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65055	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	2,500,650.00 रुपये पच्चीस लाख छः सौ पचास

योग: 7,300,400.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड अठानवे लाख पिनचानवे हजार सात सौ 49,895,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.249
Run Date: 2/10/2019

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/961

दिनांक - 02-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Centeral Scheme : PROJECT TIGER(9155)	65056	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	2,299,100.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार एक सौ

योग: 2,299,100.00

क्रमिक योग: 52,194,800.00

रुपये पॉच करोड इक्कीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.249

Run Date: 2/10/2019